राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या – 214/2013/बीकानेर.

रामकिशन गोयतान पुत्र स्व. श्री रेवतमल गोयतान जाति सोनी
निवासी 5/300, मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर. .....प्रार्थी.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं
मुद्रांक, बीकानेर. .....अप्रार्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. गोयल, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15/02/2016

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी श्री रामकिशन गोयतान पुत्र स्व0 श्री रेवतमल गोयतान निवासी बीकानेर द्वारा उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) बीकानेर (जिसे आगे 'कलेक्टर (मुद्रांक)' कहा जायेगा) के आदेश क्रमांक 190/11 में पारित पुनर्विलोकन आदेश दिनांक 31.01.2013 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री शिव कुमार निवासी बीकानेर ने अपने स्वामित्व की सम्पत्ति 11/361 मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर क्षेत्रफल 220.50 वर्गमीटर का विक्रय इकरारनामा प्रार्थी श्री रामकिशन गोयतान के पक्ष में दिनांक 30.07.2009 को निष्पादित किया गया। उक्त इकरारनामा दस्तावेज के द्वारा विक्रय प्रतिफल राशि रूपये 6,25,834/– सम्पूर्ण प्राप्त करना तथा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करने का इकरार किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त दस्तावेज के मूल्यांकन तथा मुद्रांक शुल्क की देयता के निर्धारण हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष दिनांक 11.11.2011 को प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) ने प्रश्नगत सम्पत्ति की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उप–पंजीयक–प्रथम, बीकानेर को निर्देशित किया। उप–पंजीयक द्वारा मौका निरीक्षण पश्चात प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत नय निर्माण रूपये 37,60,413/– प्रस्तावित की गयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर (मुद्रांक) ने आदेश दिनांक 16.04.2012 पारित करते हुए बिक्रीत सम्पत्ति की मालियत रूपये 37,60,413/– निर्धारित करते हुए प्रार्थी से कमी मुद्रांक शुल्क, सरचार्ज व शास्ति सहित रूपये 2,09,000/– की मांग कायम की

लगातार.....2

गयी। उक्त निर्णय के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा सृजित मांग राशि जमा नहीं करवाये जाने पर उप–पंजीयक द्वारा पत्र दिनांक 29.10.2012 से प्रार्थी को बकाया राशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित चुकाने हेतु निर्देशित किया। इस पर प्रार्थी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष रिव्यू प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.11.2012 को प्रस्तुत करते हुए, ब्याज राशि समाप्त करने तथा देय राशि चार किश्तों में जमा करवाने हेतु निवेदन किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) ने आदेश दिनांक 31.01.2013 पारित करते हुए, बकाया राशि पर ब्याज को माफ करने तथा किश्तों में वसूली सम्बन्धी अधिकार राज्य सरकार के अध्यधीन होने से प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर दिया। कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश दिनांक 31.01.2013 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रश्नगत दस्तावेज विक्रय इकरारनामा है, जिस पर 3 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क की देयता बनती है। कलेक्टर (मुद्रांक) ने कन्वेंस के अनुसार मुद्रांक शुल्क की देयता का निर्धारण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अग्रिम कथन किया कि कलेक्टर (मुद्रांक) ने आदेश दिनांक 16.04.2012 पारित किये जाने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है, उक्त तथ्य कलेक्टर (मुद्रांक) की आदेशिका एवं पत्रावली से स्पष्ट है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि दिनांक 16.04.2012 को तत्कालीन कलेक्टर (मुद्रांक) का स्थानान्तरण हो गया था, अतः उक्त दिनांक को कलेक्टर (मुद्रांक) उक्त आदेश पारित करने हेतु सक्षम ही नहीं थे। अतः कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2012 पूर्णतया विधिविरूद्ध पारित किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि निगरानी अधीन आदेश दिनांक 31.01.2013 भी विधिविरूद्ध पारित किया गया है। प्रार्थी को आदेश दिनांक 16.04.2012 की सूचना प्रदान किये बगैर, सीधे कुर्की नोटिस तामील कराते हुए, आरोपित राशि मय ब्याज के वसूल किये जाने के आदेश दिये जाने में भी त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी की निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश दिनांक 31.01.2013 का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने आदेश दिनांक 16.04.2012 से सृजित मांग राशि को स्वीकार करते हुए, बकाया राशि पर ब्याज राशि माफ किये जाने तथा देय राशि चार किश्तों में जमा करवाये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस बाबत कलेक्टर (मुद्रांक) अधिकृत नहीं होने से इस सम्बन्ध में प्रार्थी का रिव्यू

लगातार.....3

प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में कलेक्टर (मुद्रांक) ने कोई त्रुटि नहीं की है। ब्याज राशि की देयता स्वमेव होती है, यदि कोई देय राशि राजकोष में विलम्ब से जमा होती है, तो इस पर ब्याज की देयता ऑटोमेटिक है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इसगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेश दिनांक 16.04.2012 से सृजित मुद्रांक शुल्क, सरचार्ज व शास्ति राशि कुल रूपये 2,09,000/– जमा कराने की सहमति प्रदान करते हुए, उक्त राशि पर देय ब्याज माफ किये जाने तथा देय राशि चार किश्तों में जमा कराने हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.11.2012 को प्रस्तुत किया गया, जिसे कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश दिनांक 31.01.2013 से इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ही निर्णय कर सकती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.11.2012 का अन्तिम पैरा निम्नानुसार है :–

> "अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि आदेश दिनांक 16.04.2012 में यह संशोधन पुनर्विलोकन के अन्तर्गत किया जावे कि वादी को आज दिनांक 16.04.2012 से की जा रही वसूली के साथ ब्याज वादी से अदा नहीं किया जावे। वह निर्णय संस्थित दिनांक 16.04.2012 से एवं वसूली राशि 209000/–रू. बिना ब्याज के प्राप्त कर वादी के विक्रय इकरारनामें को पंजीकृत कर वादी को सुपुर्द किया जावे। तथा यह भी प्रार्थना है कि वादी की वसूली की राशि 209000/– रूपयो को कम से कम वादी से 4 किश्तो में की जाने का आदेश फरमावें।"

प्रार्थी द्वारा यह निगरानी भी कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेश दिनांक 31.01.2013 के विरूद्ध ही प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में इस पीठ के द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेश दिनांक 16.04.2012 के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

जहां तक कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेश दिनांक 31.01.2013 का प्रश्न है, यदि कोई राशि राजकोष में विलम्ब से जमा होती है, तो इस पर ब्याज की देयता स्वतः (ऑटोमेटिक) है। मुद्रांक अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत कलेक्टर (मुद्रांक) अथवा मुख्य राजस्व नियंत्रक अधिकारी ब्याज की देयता को समाप्त कर सकें। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा भी

लगातार.....4

ऐसा कोई प्रावधान अथवा न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें कलेक्टर (मुद्रांक) अथवा मुख्य राजस्व नियंत्रक अधिकारी द्वारा ब्याज माफ किये जाने सम्बन्धी प्रावधान किये गये हों। इसी प्रकार देय राशि की किश्तों में वसूली बाबत निर्णय देने में भी कलेक्टर (मुद्रांक) अथवा मुख्य राजस्व नियंत्रक अधिकारी सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने तथा कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश दिनांक 31.01.2013 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार की जाती है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

15/04/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य